(d) the reasons for the measures taken in the past to check the rise in prices not yielding any results?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) and (b) A statement showing the percentage variation in the wholesale price indices of selected esential commodities, during the quarters ending June '96 and March '96 is given below:—

Commodity	Quarter	
	April—June '96	Jan.—March '96
Masoor	10.8	— 4.9
Arhar	6.1	— 0.2
Rice	4.9	1.2
Wheat	1.4	2.6
Maize	10.2	1.5
Khandsari	7.5	— 1.6
Tea	17.8	— 5.3
Vanaspati	0.6	— 2.9
Mustard Oil	3.5	— 5.9
Groundnut Oil	3.9	— 1.3

(c) The increase in the prices of some commodities like pulses, edible oils etc. are mainly attributed to gap in demand and supply, near stagnancy in production, hike in minimum support/procurement prices of agriculture commodities. The supply of most of the above commodities is very comfortable during Jan.—March, every year due to flush supply of Kharif Crop like Masoor, Arhar, Rice, Maize, Sugarcane and Groundnut Oil etc. but the same gets reduced with the onset of lean supply season from April onward till the end of October every year.

(d) With a view to keeping the prices of essential commodities under check, the Public Distribution System is being strengthened to provide Foodgrains at cheaper rates to the poor strata of the society. Besides, stringent actions are being taken against the speculators, hoarders and traders indulging in unfair trade practices. The essential commodities are also being supplied through Co-operative Stores, Mobile Stores, Kendriya Bhandars etc. at reasonable prices. Essential Commodities like pulses and edible oils are being imported in desired quantities to augment their supplies in the domestic market. The efficacy of these measures can not be judged in short period. They have longer perspective and hence the price rise during the entire year will be a better parameter. Since the controlling of price is the ongoing process of the Government policy, temporary variations in prices are inescapable.

देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

2223. **श्री रामजीलाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1996 तक देश में रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे और इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने मैट्रिक से उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है तथा उनकी संख्या कितनी है जो अशिक्षिति हैं और उनकी संख्या कितनी है जो मैट्रिक पास से कम पढ़े-लिखे हैं;

(ग) उनमें से हरियाणा के कितने व्यक्ति हैं;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया; और

(ड़) हरियाणा में सभी बेरोजगार व्यक्तियों को कब तक रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा और इस संबंध में सरकार की क्या योजना है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) 31.3. 1996 के अंत में देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हो, की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में प्रस्तुत है। **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) 31.3.1993 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, देश में तथा हरियाणा राज्य में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के शिक्षा ब्यौरे निम्न प्रकार थे :

(हजार में)

	अशिक्षित (मैट्रिक से कम)	निरक्षरों सहित	मैट्रिक तथा उससे अधिक परंतु स्नातक से कम	स्नातक (स्नातकोत्तर सहित)
अखिल भारत		12658.7	19658.6	3958.3
हरियाणा		239.4	369.0	67.9

(घ) 1991, 1992, 1993, 1994 तथा 1995 के वर्षों के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों द्वारा जिन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, उनकी संख्या नीचे दी गई है:

(हजार में)

वर्ष	रोजगार पर रखे गए व्यक्तियों की संख्या
1991	253.0
1992	238.7
1993	231.4
1994	204.9
1995	214.9

(ङ) आठवीं योजना में, उच्च रोजगार सम्भावयता वाले क्षेत्रों तथा उप-क्षेत्रों यथा कृषि, कृषि संबंधी तथा ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण अवसंरचना, लघु एवं विकेन्द्रीकृत निर्माणकारी क्षेत्र, शहरी अनौपचारिक तथा सेवा क्षेत्रों के त्वरित विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों के विस्तार पर बल दिया गया है। आई आर डी पी, जे आर वाई तथा एन आर आई जैसी चालू योजनाओं को जारी रखने के अतिरिक्त, आठवीं योजनावधि में, नई रोजगार सृजन योजनाएं जैसे रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस), प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) की 2 मिलियन नौकरियों संबंधी योजनाएं आरंभ की गई हैं। प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (आई यू पी ए पी) में रोजगार सृजन की समग्रता के साथ जनता के अपेक्षाकृत गरीब तबकों की मूल सेवाएं उपलब्ध कराना इसकी एक मूल विशेषता है। इन योजनाओं से हरियाणा के बेरोजगार व्यक्तियों के भी लाभान्वित होने की सम्भावना है।

विवरण

31.3.1996 के अंत में स्थिति के अनुसार, देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या।

(हजार में)

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या
राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	2851.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.6
3.	असम	1256.4
4.	बिहार	3712.6
5.	गोवा	100.1

(हजार में)

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या
6.	गुजरात	916.5
7.	हरियाणा	706.9
8.	हिमाचल प्रदेश	597.8
9.	जम्मू और कश्मीर	147.5
10.	कर्नाटक	1752.3
11.	केरल	3307.1
12.	मध्य प्रदेश	2181.3
13.	महाराष्ट्र	3691.5
14.	मणिपुर	275.5
15.	मेघालय	27.7
16.	मिजोरम	45.9
17.	नागालैण्ड	21.0
18.	उड़ीसा	940.9
19.	पंजाब	511.9
20.	राजस्थान	811.8
21.	सिक्किम*	
22.	तमिलनाडु	3438.0
23.	त्रिपुरा	201.2
24.	उत्तर प्रदेश	2496.0
25.	पश्चिम बंगाल	5435.8
संघ शासित प्रदेश		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.2
27.	चण्डीगढ़	152.1
28.	दादर और नगर हवेली	4.7
29.	दिल्ली	1046.2
30.	दमन और दीव	4.6
31.	लक्षद्वीप	9.6
32.	पाण्डिचेरी	151.6
	योग:	36825.1

नोट: 1. * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. पूर्णांकों के कारण आकड़ों को योग में न जोड़ा जाए।

गैर-सरकारी क्षेत्र में खनन परियोजनाएं

2224. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनन उद्योग में कितनी परियोजनाओं का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया है;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं विदेशी खनन कंपनियों को दी गयी हैं;

(ग) खनन संबंधी अधिकार देने के संबंध में क्या मानदंड अपनाया गया है; और

(घ) ऐसे ढंग से गैर-सरकारी पार्टियों को खनन अधिकार लीज पर दिए जाने का क्या लाभ है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्दर प्रसाद वैश्य): (क) से (घ) खनन के अधिकार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार दिये जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से, देश में खनन गतिविधि सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा की जाती है। वर्ष 1994-95 के अंत तक उत्पादन कर रही तथा गौण खनिजों के अलावा गैर-परमाणु तथा गैर-ईंधन खनिजों को दी गई कुल 3083 (अनन्तिम) खानों में से मात्र 316 खानें सार्वजनिक क्षेत्र में थीं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा (3) की उपधारा (1) में परिभाषित किसी कंपनी को ही खनन अधिकार दिये जा सकते हैं बशर्ते प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी खनिज के बारे में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे नहीं दिये जाएंगे। अतः किसी विदेशी कंपनी को ऐसे अधिकार दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। रोजगार तथा किसी आर्थिक गतिविधि के राजस्व सृजन जैसे सामान्य लाभों के अलावा खनन गतिविधि में संबंधित राज्य सरकारों को रायल्टी एवं संबंधित शुल्कों के भुगतान भी शामिल रहते हैं।

कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना किया जाना

2225. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1995-96 में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करने हेतु कोई प्रयास किए हैं;